# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

| उनवान संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 11/12 | 01.02.2012 | 21.11.2017 |

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

**उनवान**

कल्याणी बाई पुत्री स्व0 छोटूलाल पत्नी स्व0 भैरूलाल जाति बैरवा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– प्रार्थीनी

**बनाम**

1. कल्याण पुत्र बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिपक्षीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट**
**बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जानें**

उपस्थित – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट प्रार्थीनी की ओर से

– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट प्रतिपक्षी नं0 1 की ओर से

**निर्णय**

प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट बाबत् नियुक्त करनें रिसीवर, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद में ख0नं0 187/1 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 188 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 487 रकबा 1.92 हे0, ख0नं0 487/566 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.84 हे0 भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि अन्य भूमियों के साथ प्रार्थीनी के पिता छोटू व बिरधा, भैरिया पिसरान घांसी हिस्सा 3/4 व केसरा, नारायण रामा पिसरान भंवरिया हिस्सा 1/4 से दर्ज चली आ रही थी। जो बांद बंटवारा प्रार्थी के पिता छोटू अपनें हिस्से की भूमि अलग दर्ज करवा ली। जिसे प्रतिपक्षी नं0 1 ने गलत तौर पर अपनें नाम दर्ज करवा लिया। प्रार्थीनी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीनी उनके हिस्से की भूमि को काश्त की व्यवस्था करवाती चली आ रही थी कि प्रतिपक्षी नं0 1 ने प्रार्थीनी से उक्त भूमि मुनाफे पर प्राप्त कर ली तथा पिछले वर्ष से प्रतिपक्षी नं0 1 ने मुनाफे की राशि अदा नहीं की तो प्रार्थीनी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकलें निकलवाई तो पता चला कि प्रार्थीनी के पिता के हिस्से व खातें की भूमि को प्रतिपक्षी नं0 1 ने छोटू का पुत्र बनकर अपनें खातें दर्ज करवा ली है जो गलत रूप से दर्ज करवायी है। प्रार्थीनी के पिता छोटू की प्रार्थीनी



Scanned by CamScanner

एकमात्र वारिस व पुत्री है। प्रतिपक्षी नं0 1 बिरधीलाल का पुत्र है तथा छोटूलाल का पुत्र नहीं है और न गोद पुत्र है। प्रार्थीनी के पिता छोटू ने अपनें जीवन काल में प्रतिपक्षी नं0 1 को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को गोद नहीं लिया और न पुत्र बनाया। प्रतिपक्षी नं0 1 का प्रार्थीनी व उसके पिता से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 1 के खातें की भूमि प्रार्थीनी के पिता के खातें की भूमि है इस कारण प्रार्थीनी अपनें पिता की भूमि प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा अपनें खातें दर्ज करानें व खातेदार घोषित होनें की अधिकारिणी है। प्रतिपक्षी नं0 1 को प्रार्थीनी दिनांक 18.01.2012 को उपरोक्त भूमि को प्रार्थीनी के खातें दर्ज करानें व मुनाफा की राशि अदा करनें को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 ने मुनाफा देनें व भूमि पर प्रार्थीनी को कब्जा देनें से व प्रार्थीनी के खातें दर्ज करानें से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीनी को जब असलियत का पता चल जानें से प्रतिपक्षी नं0 1 ने उक्त भूमि को रहन, बैचान, खुर्द बुर्द करनें की धमकी दी। जिस कारण घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करना पडा। प्रतिपक्षी प्रार्थीया को न तो काश्त करनें दे रहा है और न ही मुनाफा अदा कर रहा है, इसलिए न्याय हित में विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली काल्या पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है। यदि उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया तो प्रार्थीया को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीया अपनें अधिकारों से वंचित हो जावेगी। प्रार्थीया का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीनी ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थीया के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के खिलाफ ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद में ख0नं0 187/1 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 188 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 487 रकबा 1.92 हे0, ख0नं0 487/566 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.84 हे0 भूमि पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किये जानें का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी अस्वीकार कर विशेष आपत्तियों में कथन किया कि प्रार्थीनी ने असत्य तथ्यों के आधार पर तथ्यों को छिपाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज होनें योग्य है। प्रार्थीनी कल्याणी छोटू की पुत्री नहीं है, न ही छोटू के नुत्फे से पैदा हुई है, बल्कि प्रार्थीनी


Scanned by CamScanner

के प्राकृतिक पिता का नाम भैरू है और भैरू की मृत्यु के बाद प्रार्थीनी की माता गेंदी ने छोटू से नाता विवाह किया था उस समय प्रार्थीनी की आयु 2 वर्ष की थी जो गेलड के रूप में साथ आयी थी। इस कारण प्रार्थीनी का छोटू की सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा प्रार्थीनी को वाद लानें का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। छोटू के कोई संतान न होनें से छोटू ने प्रतिपक्षी नं0 1 को 5 वर्ष की आयु में मकर सक्रांति के दिन गोद ले लिया था तथा प्रतिपक्षी नं0 1 छोटू का गोद पुत्र व वारिस है। इस कारण छोटू की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी नं0 1 ने ही समस्त क्रिया कर्म आदि कार्य किये व गोदपुत्र के आधार पर छोटू की पगडी भी प्रतिपक्षी नं0 1 के बांधी गई। इस कारण उक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम नियमानुसार दर्ज हुई। प्रार्थीनी का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध है। प्रार्थीनी द्वार प्रतिपक्षी नं0 1 को कभी भी भूमि मुनाफे पर नहीं दी गयी और न प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा प्रार्थीनी से कोई भूमि मुनाफे पर प्राप्त की गयी, बल्कि छोटू के जीवनकाल से व उनकी मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 1 का ही कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार चला आ रहा है। प्रार्थीनी ने प्रतिपक्षी नं0 1 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय ए0सी0एम0 दीगोद में इस वाद के पूर्व एक वाद दिनांक 23.07.2000 को पेश किया था, जो दिनांक 30.01.2003 को खारिज हो गया। प्रार्थीनी द्वारा उक्त तथ्य छिपाकर यह दावा माननीय न्यायालय में पेश किया है इस कारण प्रस्तुत दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीनी ने प्रतिपक्षी नं0 1 को तंग व परेशान करनें व भूमि हडपने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है इस कारण प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थीनी से विशेष हर्जाना प्राप्त करनें का अधिकारी है। प्रार्थीनी ने वाद पेश करनें से पूर्व प्रतिपक्षी नं0 2 को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस नहीं दिया है इस कारण नोटिस के अभाव में वाद व प्रार्थना पत्र चलनें योग्य नहीं है। प्रार्थीनी को वाद पेश करनें का कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है इस कारण भी प्रार्थीनी का वाद व प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होनें योग्य है। प्रार्थीनी का केस प्राईमाफेसी केस नहीं है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और न अपरिमित क्षति होनें की संभावना है। बल्कि विवादित भूमियों पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया तो प्रतिपक्षी नं0 1 को अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण सम्भावना है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में पक्षकारान् ने निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–



Scanned by CamScanner

1. फोटोप्रति प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 30.01.03 मि0नं0 46/2001
2. फोटोप्रति प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मि0नं0 46/2001
3. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खेडली काल्या सं0 2066–69 खाता नं0 11
4. फोटोप्रति प्रतिलिपि सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम खेडली काल्या सं0 2043–62
5. फोटोप्रति प्रतिलिपि सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम खेडली काल्या सं0 2043–62
6. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खेडली काल्या सं0 2034–37 खाता नं0 14
7. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी सेटलमेंट ग्राम खेडली काल्या सं0 2043–62 खाता नं0 32
8. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी सेटलमेंट ग्राम खेडली काल्या सं0 2043–62 खाता नं0 113

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थीनी ने दौरानें बहस कथन किये कि प्रकरणाधीन भूमि 2.84 हे0 को प्रतिवादी ने छोट का पुत्र बनकर अपनें नाम दर्ज करवा ली। कल्याण छोटू का पुत्र नहीं है, बिरधीलाल का पुत्र है। कल्याण को छोटू द्वारा गोद भी नहीं लिया गया। प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी को गेलड बताया गया है जिसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। गोदपुत्र से सम्बन्धित इंतकाल में कोई नोट अंकित नहीं है। गोद पुत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया जावें। वकील प्रतिपक्षी ने दौरानें बहस कथन किये कि वादनी द्वारा दावा ही झूंठा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वह छोटू की पुत्री है। प्रार्थीया गेलड के रूप में आई थी। प्रार्थीया की माता से नाता विवाह करनें से पूर्व ही छोटू ने कल्याण (प्रतिपक्षी) को गोद ले लिया था। कल्याण के नाम खोलें गये इंतकाल को किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया गया। कल्याणी बाई की सगी बहिन शांति बाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका खण्डन प्रार्थी ने नहीं किया है। यदि प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की गई है तो कडता लगान की रसीद प्रस्तुत करते, जो इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इनके द्वारा पूर्व में भी एक वाद प्रस्तुत किया गया था जो खारिज हो चुका है। अब इनके द्वारा सन् 2012 में नया दावा प्रस्तुत किया गया है। इस दावें में यह कहकर आये है कि नकल निकलवानें पर हमें पता लगा है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया क्लीन हेण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आई है



Scanned by CamScanner

एवं न्यायालय को गुमराह कर रहे है। जब दावा 2001 में प्रस्तुत किया तब ही वाद कारण हो गया तो अब 2012 में कौनसा नया वाद कारण उत्पन्न हुआ। यदि कोई रिकॉर्डेड खातेदार है एवं कब्जा काश्त है तो रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वकील प्रतिपक्षी द्वारा अपनें कथनों के समर्थन RBJ 2014 (21) Page No. 502, RBJ 2013 (20) Page No. 72, RBJ 2013 (20) Page No. 458, RBJ 2013 (20) Page No. 461, RBJ 1994 (1) Page No. 168, RBJ 2000 (7) Page No. 430, RRD 1994 Page No. 142, RRD 1994 Page No. 144, RRD 1994 Page No. 147, RRD 1994 Page No. 149, RRD 1994 Page No. 780, RBJ 1998 (5) Page No. 519, RRT 2017(1) Page No. 234 माननीय न्यायालयों के यायिक, दृष्टान्त प्रस्तुत किये तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जानें का निवेदन किया।

बहस रिपीटल में कथन किये कि पूर्व दावें के सम्बन्ध में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। छोटू के स्थान पर कल्याण का इंतकाल कैसे खुला यह सिद्ध नहीं कर पा रहे है। सेटलमेंट के दौरान छोटू की भूमि अपनें नाम दर्ज करवा ली।

बाद बहस पत्रावली के तथ्यों पर विचार किया तथा उनके द्वारा माननीय न्यायालयों के दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया तथा उनका प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पानगी बाबत् विचार किया। दौराने बहस हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रार्थीनी ने कथन किया है कि वादग्रस्त ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 187/1 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 188 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 487 रकबा 1.92 हे0, ख0नं0 487/566 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.84 हे0 भूमि प्रार्थीनी ने प्रतिपक्षी को मुनाफा काश्त पर दी थी परन्तु विगत वर्षो में प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा मुनाफे की राशि अदा नहीं की जा रहा है और गलत तौर पर भूमि अपनें नाम दर्ज करवा ली है। इसके विपरीत प्रतिपक्षी का कथन है कि उक्त विवादित भूमि उसे छोटू का गोद पुत्र होनें के नाते प्राप्त हुई है।

इस प्रकार प्रार्थीनी तथा प्रतिपक्षी के द्वारा उल्लेखित कथनों एवं बहस में बताये गये तथ्यों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में प्रतिपक्षी नं0 1 काबिज है एवं रिकॉर्डेड खातेदार होनें के नातें प्रतिपक्षी नं0 1 को बेदखल करनें के लिए प्रार्थीया रिसीवर को माध्यम बना रही है। किसी भी कब्जेधारी को बेदखल करनें के लिए रिसीवरी का सहारा लिया जाना वैधानिक नही है।



Scanned by CamScanner

विवादित आराजी का प्रतिपक्षी नम्बर 1 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थिया अपने–आप को छोटू की पुत्री बता रही है जबकि प्रतिपक्षी नं0 1 अपनें आप को छोटू का गोद पुत्र बता रहा है, किन्तु उभयपक्ष एक दूसरे के तथ्यों का खण्डन भी करते है। वर्तमान में भूमि प्रतिपक्षी कम 1 के नाम पर दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे बाबत कोई विवाद होना प्रस्तुत प्रकरण में जाहिर नहीं आता है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का मोके पर कब्जा हो ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। जबकि प्रतिपक्षी कम 1 वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है एवं कब्जा भी प्रमाणित है। प्रस्तुत प्रकरण पर आर0आर0डी0 1987 पेज 128 में अभिनिर्धारित तथ्य अंशतः चस्पा होते है।

भूमि प्रति0 कम 1 के नाम पर दर्ज है और कब्जें बाबत् स्थित भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 1 का कब्जा है। माननीय न्यायालय का निर्णय जैसा कि आर0आर0डी0 1994 पेज 723 में अभिनिर्धारित है कि प्रार्थीया का यह दायित्व है कि वह विवादित भूमि पर अपना कब्जा सिद्ध करें– प्रार्थीया ने ऐसी कोई दस्तावेजी शहादत पेश नहीं की जिससे यह साबित हो कि वह विवादित भूमि की खातेदार है या उसका उस पर कब्जा है – उसके पक्ष में न तो निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है और न ही रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है।

पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया का प्रमाणित नहीं है। हम यह कहना भी उचित समझते हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया फिलहाल ऑनर साबित नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में न होकर प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में है । इसी अनुरूप अपूरणीय क्षति भी प्रतिपक्षी नं0 1 को होना पाया जाता है ।

वकील प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय का दृष्टान्त RBJ (20) 2013 लीखमी चन्द बनाम श्रीमती सुमनलता में पारित नजीर चस्ता होती है कि " When disputed land is in possession of recorded khatedar, land cannot be held in-medio and Receiver cannot be appointed on such land. In this case, applicant who is not in possession of disputed land, filed an application for appointment of Receiver on the disputed land. Where, when the recorded khatedar is legally in possession of the land, Receiver cannot be appointed on such land."

प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रकरण की विषयवस्तु पर सम्यक् विवेचन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर साक्ष्य सम्मत एवं गुणावगुण पर भी विचार किया गया। सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल नहीं है।



Scanned by CamScanner

प्रस्तुत प्रकरण पर श्रीमती सुमित्रा बाई बनाम बृजमोहन आर0आर0डी 2000 पेज 28 की नजीर चस्पा होती है जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि "सुविधा संतुलन के लिए यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देनें से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होनें से।"

मूलरूप से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 (2) की शर्तत्रय पर खरा नहीं उतरता है। रिसीवरी एक कठोर निर्णय है और प्रस्तुत प्रकरण में रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं । विवादित आराजी जो कि वाद की मूल विषयवस्तू है , का अस्तित्व बिना रिसीवरी के खतरे में हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है।

**प्रार्थीया को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजीयात पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिष्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण के उपरान्त विधि अनुसार मेंरिट पर होना है न कि प्रार्थीया के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर , अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार हम प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित पाते है।**

**प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनज़र प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।**

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 115/12 के साथ संलग्न रहै ।

आदेश आज दिनॉक 21/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद



Scanned by CamScanner